



भारत सरकार

Government of India

वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE)

110 महात्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग. 793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/2229005/2210103.

फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007.

हिंदी पाठ

सूविधा संख्या:07/2010

दिनांक 15 नवंबर 2010, शिलांग

विषय: आयात के लिए आईएसपीएम-15 का अनुपालन संबंधी।

वाणिज्य और सभी संबंधितों को डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 54/2009-2014 दिनांक 03.08.2010 की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है। आयात-निर्यात वस्तुओं के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के संशोधन को देखते हुए सामानों के निर्यात के लिए अनुमति पत्र जिसमें पौधे व पौधों के उत्पादन, जिसमें पेकेजिंड. के लिए लकड़ी के पुलिंदों का इस्तेमाल हो., जैसे कि पेलेट्स, ड्यूनेज, लकड़ी के फ्रेम, पेकिड. ब्लक्स, ड्रम, कैसेस, लोड बोर्ड्स, पेलेट कालर और स्कीड्स आदि जिसे पेकेजिंड. के लिए उचित समझा जाए, को लेंड कास्टम्स स्टेसन के माध्यम से यह आयुक्तालय अनुमति देगा और वह पाइटोसेनिटरी माप के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय मानक संख्या 15 अथवा उसे समर्थन करते हुए उसमें पाइटोसेनिटरी प्रमाणपत्र लगा हुआ होना चाहिए।

(एस.आर. बरुआ)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित प्रेषित:

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, शिलांग।
2. आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, डिब्रुगढ़/गुवाहाटी/ शिलांग।
3. आयुक्त, (अपील), सीमा एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गुवाहाटी।
4. उपायुक्त/सहायक आयुक्त (सभी)
सीमा शुल्क प्रभाग, को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने क्षेत्राधिकार के आयातकर्ता/निर्यातकर्ता संस्था(ओं), सीमा शुल्क भवन अभिकर्ता को इस सुविधा संबंधी परिपत्र जारी करें। साथ ही उनसे अपने क्षेत्राधिकार के अधीन लैंड कास्टम्स स्टेशन में आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया जाता है।
5. अधीक्षक कम्प्यूटर कक्ष, सीमा शुल्क मुख्यालय, शिलांग को इस अनुरोध के साथ कि वे इस सुविधा को आयुक्तालय के वेबसाइट पर आपलोड करें।
6. गार्ड फाइल।

अतिरिक्त प्रमुख
(ए.एम. पाल)
30/XI/2010
अधीक्षक (तकनीकी)